



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या-43/2026/641/77-1-2026
लखनऊ, दिनांक 08-09-2026

शुद्धि-पत्र

उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं० लि०, कानपुर के मुख्यालय के स्केल्टन स्टाफ के वेतन, रख रखाव, विधिक व्यय, लेखे तैयार कराये जानें एवं होल्लिंग आन आपरेशन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश संख्या- 42/2026/77-1002-2-2021/001-467, दिनांक 21.07.2026 द्वारा सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रू० 52,56,000.00 (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 21.07.2026 में धनराशि रू० 52,56,000.00 लाख (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र) टंकक त्रुटिवश अंकित हो गयी है।

2- अतः उक्त शासनादेश दिनांक 21.07.2026 में अंकित धनराशि "रू० 52,56,000.00 लाख (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र)" के स्थान पर धनराशि "रू० 52,56,000.00 (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र)" पढ़ा व समझा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 42/2026/77-1002-2-2021/001-467, दिनांक 21.07.2026 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

(राम बृज राम)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं० लि०, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं० लि० कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

(राम बृज राम)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।